स्मरण-पत्र

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2019/774 भोपाल, दिनांक 29/1/19

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र.।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, इदगाह हिल्स, भोपाल।
5. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. समस्त प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज उज्जैन/जबलपुर, म.प्र.।
7. समस्त प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, जिला – ग्वालियर, जबलपुर, इन्दौर, म.प्र.।
8. अधीक्षक, जे.एस.आर. ईटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के. भोपाल/ टी.बी. अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिंदवाड़ा/जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़।

विषय :– एच.पी.सी. में निराकृत कंडिका एवं विभाग पर छोड़ी गई कंडिका के निराकरण के संबंध में।

संदर्भ :– उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र–2, कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र. ग्वालियर का पत्र कमांक/ओ.ए.डी.–3/जावक कमांक 720 दिनांक 05.03.2018 एवं पत्र क्रमांक ओ.ए.डी. 3/सामा. क्षेत्र.ले.प.2/उच्च.ऑडिट समिति/जा.क. 260 दिनांक 01.01.2019

2. संचालनालय की ऑडिट शाखा का पत्र कमांक 6/ऑडिट/2018/153 दिनांक 27.04.2018

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख हैं कि महालेखाकार ग्वालियर की उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.01.2018 से 11.01.2018 तक आयोजित की गई थी जिसमें संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं 604 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं में से 1170 कंडिकाओं का महालेखाकार ग्वालियर द्वारा निराकरण किया गया।

निराकृत 1170 कंडिकाओं में से 965 कंडिकाये विभाग/शासन की सहमति पर छोड़ी गई हैं। आपके कार्यालय की संलग्न पत्रक अनुसार जो कंडिकाये महालेखाकार द्वारा विभाग/शासन की सहमति पर छोड़ी गई हैं। उक्त कंडिकाओं में जो कार्यवाही अपूर्ण थी वह कार्यवाही पूर्ण कर 8 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को मय दस्तावेजो सहित पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराये अन्यथा आपकी विभाग/शासन पर छोड़ी गई कंडिकाओं को निराकृत नहीं किया जावेगा बावत् ऑडिट शाखा के संदर्भित पत्र दिनांक 27.04.2018 द्वारा आपको अवगत कराया गया था, जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त हैं। महालेखाकार ग्वालियर के संदर्भित पत्र दिनांक 01.01.2019 द्वारा पुनः पत्र जारी कर ऐसी लंबित कंडिकायें जिनमें विभाग/ शासन सहमत नहीं थे अथवा वसूली लंबित थी के संबंध में जानकारी चाही गई हैं।

अतः आपके कार्यालय में लंबित ऐसी कंडिकायें जिनकी कार्यवाही अपूर्ण थी की कार्यवाही पूर्ण कर एवं वसूली संबंधी लंबित प्रकरण जिसकी वसूली की जानी थी के संबंध में जानकारी सहित संबंधित भंडार प्रभारी एवं लेखापाल के हस्ते जानकारी भिजवाने का कष्ट करें। जिससे आगामी एचपीसी में लंबित कंडिकाओं का निराकरण किया जा सकेगा।

~~संलग्न – उपरोक्तानुसार~~।

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

पृ. क्रमांक 6/ऑडिट/2019/775 भोपाल, दिनांक 29/11/19

<u>प्रतिलिपि</u> :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र–2, कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र. ग्वालियर की ओर आपके पत्र कमांक ओ.ए.डी. 3/सामा.क्षेत्र.ले.प. 2/उच्च.ऑडिट समिति/जा.क. 260 दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. प्रभारी, एम.आई.एस., की ओर उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

EHKUI-47

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 6/ऑडिट/2018/733 भोपाल, दिनांक 4/1/19

प्रति,

1. प्रबंध संचालक, कॉर्पोरेशन (MPPHSCL)
   तिहनसंघ भवन, अरेरा हिल्स भोपाल।
2. संचालक (एड्स), तिहनसंघ भवन,
   अरेरा हिल्स, भोपाल।
3. संचालक, आई.ई.सी. ब्यूरो,
   जे.पी. हॉस्पिटल चिकित्सालय परिसर, भोपाल।
4. संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स भोपाल।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
8. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
9. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
10. समस्त प्राचार्य, नर्सिग कॉलेज उज्जैन/जबलपुर , म.प्र.।
11. समस्त प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, जिला– ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, म.प्र.।
12. अधीक्षक, श्यामाप्रसाद मुखर्जी अस्पताल ईटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के. भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिंदवाड़ा/जबलपुर/मनोरमा राजे टी.बी. अस्पताल इन्दौर/सिविल अस्पताल बैरागढ़।
13. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय।

विषय :– राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त निधियों को बैंक खातों में जमा रखने के संबंध में।

संदर्भ :– 1. महालेखाकार (सा. एवं. सा.क्षे.ले.प.) ग्वालियर का पत्र कमांक रिपोर्ट(रा.वि.)/अध्याय–3/2017–18/डी–1320 दिनांक 17.07.2018
2. संचालनालय का पत्र कमांक 6/ऑडिट/2018/469 दिनांक 10.08.2018

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत महालेखाकार के संदर्भित पत्र द्वारा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु जारी अनुदान/निधियों के व्यय हेतु संबंधित विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा निधियों को शासकीय खातों/कोषालय से आहरित कर बैंक खातों में जमा रखकर बैंक खातों से निधियों का व्यय किया जा रहा हैं। इस प्रकार बैंक खातों से किये जा रहे लेने–देनों की (दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में) संलग्न प्रपत्र अनुसार जानकारी चाही गई हैं।

महालेखाकार द्वारा जारी प्रपत्र पत्र संचालनालय के पत्र दिनांक 10.08.2018 द्वारा संलग्न प्रेषित कर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। किन्तु आपके द्वारा महालेखाकार द्वारा चाही गई जानकारी आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई । अतः आपको पुनः स्मरण कराया जा रहा हैं कि चाही गई जानकारी तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे तदानुसार संकलित जानकारी से महालेखाकार को अवगत कराया जा सकेगा।

(डॉ.राजीव सक्सेना)
अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

पृ.क्रमांक 6/ऑडिट/2018/734 भोपाल, दिनांक 4/1/19

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. उप महालेखाकार रिपोर्ट (राज्य वित्त) की ओर आपके पत्र कमांक रिपोर्ट(रा.वि.)/अध्याय–3/2017–18/डी–1320 दिनांक 17.07.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र.

3/1/19

F:\A-AUDIT 2018\1-AUDIT LETTER\AUDIT 2018.DOCX 409